

18.7.22 पत्रावली पत्र / वकील इन्चार्ज उप.

सार्थना पत्र O-7 R-11 CPC की बख्त
पर मजान करने एवं पत्रावली का अवरुद्ध
करने के पश्चात् सार्थना पत्र स्वीकार
किया जाना उचित मनीत होता है।

अतः सार्थ / सतिफाई का सार्थना
पत्र अंतर्गत O-7 R-11 CPC स्वीकार
किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
वाद तस्वीब तस्मीन होकर हाजिर
दखल हो। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
जाना शामिल किया गया।

(अभिलेख)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना